राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3523–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.7.2013 पारित द्वारा तहसीलदार नेपानगर, जिला बुरहानपुर, प्रकरण कमांक 4/अ–13/2012–2013.

—

1. सुरेन्द्र सिंह पिता कन्हैया सिंह,
2. शकुन्तला बाई पति सुरेन्द्र सिंह,
दोनों निवासी ई टाईप एरिया, तहसील
नेपानगर, जिला बुरहानपुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती मंगलाबाई पति निवृत्ति महाजन,
निवासी बुधवारा बाजार एरिया, तहसील
नेपानगर, जिला बुरहानपुर, म0प्र0 .....अनावेदक

—

श्री पी0डी0 गोयल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 22 जुलाई, 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नेपानगर, जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, नेपानगर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भालखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 29/1 रकबा 2.00 हैक्टेयर अनावेदिका के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, उक्त भूमि संचित है । अनावेदिका को अपने खेत पर जाने के लिये एक मात्र परम्परागत एवं सुविधाजनक बैलगाड़ी रास्ता ग्राम

भालखेड़ा से मनोज टाकीज को जाने वाले शासकीय रास्ते से होकर है । उक्त रास्ता नेपानगर से भालखेड़ा रोड पर स्थित शासकीय रास्ते से होते हुए धन्नालाल कोरकू के खेत में स्थित विद्युत डी0पी0 तक पहुंचता है, जहां से आवेदकगण के रकबों के पूर्व दिशा की मेड़ से होते हुए उसके खेत तक जाता है । अनावेदिका इसी रास्ते का उपयोग कई वर्षो से निर्बाध रूप से करती चली आ रही है, और उसके लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है । अनावेदिका द्वारा उक्त भूमि तुमडू पिता गंगाराम पाटील से दिनांक 23.11.1994 को पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी तथा विक्रय पत्र उपरोक्त रास्ते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । आवेदकगण द्वारा उक्त रास्ते को कांटी लगाकर, फसल बोकर अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः उक्त रास्ता पूर्ववत् खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 131 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत प्रश्नाधीन रास्ता अंतरिम तौर से खुलवाये जाने हेतु भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–13/2012–2013 दर्ज किया जाकर, दिनांक 31.7.2013 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका ने पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से भूमि क्रय की है, और पंजीकृत विक्रय पत्र में रास्ता नहीं दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार ने राजस्व अभिलेख बिना बुलाये केवल अनावेदिका एवं पटवारी के कहने से रास्ता मानने में त्रुटि की है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि गवाहों के नाम एवं पते नहीं हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की भूमि में से कोई रास्ता नहीं है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ता विक्रय पत्र में दर्शाया गया है । यह भी कहा गया कि उक्त रास्ता परम्परागत रास्ता है, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया गया है । अंत में कहा गया कि अनावेदक के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाने का आदेश देने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र में स्पष्टतः रास्ते का उल्लेख है । इसके अतिरिक्त दिनांक 9.5.2013 को तहसीलदार द्वारा पटवारी सहित अन्य पड़ोसी कृषकों एवं ग्रामीणों के समक्ष स्थल निरीक्षण किया गया है और स्थल निरीक्षण में प्रश्नाधीन रास्ता होना एवं उसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध किया जाना पाया गया है, साथ ही अनावेदिका के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना भी नहीं पाया गया है । आवेदकगण को दो बार सूचना पत्र प्रेषित होने के उपरांत भी वे मौके पर उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन रास्ता खोले जाने के निर्देश आवेदकगण को देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क अभिलेख से परे है कि प्रश्नाधीन रास्ते का उल्लेख विक्रय पत्र में नहीं है, क्योंकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि विक्रय पत्र में रास्ते का उल्लेख है । अंतरिम तौर से रास्ता खुलवाने में राजस्व अभिलेखों के अवलोकन की आवश्यकता नहीं है, इसलिये इस सम्बन्ध में भी आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य योग्य नहीं है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी अंतिम आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत रास्ता नहीं होने एवं आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध नहीं किये जाने के तथ्य को साक्ष्यों से प्रमाणित कर सकते हैं । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.7.2013 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर